10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /13 रिव्यू

रिव्यू-4430-III-13

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभि० द्वारा आज दि. 9-12-13 को प्रस्तुत

9-12-13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रसन्न कुमार पुत्र गोरेलाल जैन आयु 70 वर्ष निवासी हरकुंड नाका, चन्देरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

.... आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.... अनावेदक

रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू.रा.स. 1959 विरूद्ध आदेश माननीय श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के न्यायालय निगरानी प्रकरण क्र. 2077–2/12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15.10.2013 के विरूद्ध

माननीय महोदय,

आवेदिका का रिव्यू प्रार्थना पत्र निम्नप्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य

1. यहकि, आवेदक के पिता गौरेलाल द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 1217/अ–68/66–67 में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की थी जो प्रकरण क्र. 60अ 68/68–69 पर दर्ज हुई तथा जो आदेश दिनांक 01.07.1969 को स्वीकार हुई तथा प्रकरण रिमाण्ड किया गया था।

2. यहकि, दिनांक 09.07.94 को तेहसीलदार परगना चन्देरी जिला गुना द्वारा प्रकरण क्र. 345 अ–68/93–94 द्वारा आदेश पारित किया गया जिसमें म.प्र. भू.रासं. 1959 की धारा 248 के अंतर्गत सुनवाई की गई तथा जिसमें पटवारी ग्राम द्वारा कथन लिया गया कि भूमि सर्वे नं. 924 रकवा 0.063 में से 0.021 हैक्टयर पर मकान एवं 0.042 पर बाउण्ड्री बना है उक्त सर्वे नं. को पुश्तैनी बताया गया है, प्रकरण में कि अतिक्रामक द्वारा यह बताया गया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक : 4430/III/2013 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25/4/14	न्यायालयीन प्रकरण कमांक 2077/ ।।/12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15–10–2013 के पुनरावलोकन हेतु यह आवेदन म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को के दौरान पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और यह तथ्य निगरानी कमांक 2077/ ।।/12 में वर्णित तथ्यों के ओतप्रोत हैं। आवेदक के अभिभाषक ने ऐसा कोई ठोस आधार नहीं बताया है जिससे पुनरावलोकन आवेदन को बल मिलता और जिनके आधार पर आदेश दिनांक 15.10.13 का पुनरावलोकन किया जाना संभव होता। संहिता की धारा 51 के अनुसार पुनरावलोकन हेतु कम से कम निम्न आधारों में से कोई प्रबल आधार होना चाहिये – 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चला लिया है जो सम्यक तत्परता बरतने पर भी उसय समय जब आदेश किया गया था, पक्षकार के संज्ञान में नहीं आई अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकी। 2. मामले के अभिलेख से प्रकट कोई ऐसी भूल या गलती, जो स्पष्ट दिखाई देती हो, भी नहीं बता सके हैं।	

3. अन्य ऐसा कोई पर्याप्त कारण भी नहीं बता सके, जिसके आधार पर न्यायालयीन आदेश दिनांक 15.10.13 का पुनरावलोकन किया जाना लाजमी हो।

आवेदक के अभिभाषक आदेश दिनांक 15.10.13 के पुनरावलोकन किये जाने हेतु कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं कर सके एंव यह भी समाधान नहीं करा सके कि उक्त आदेश का पुनरावलोकन किया जाना किन कारणों से लाजमी है। अतः पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया जाता है। पक्षकार टीप करें। प्रकरण अंक से कम किया जाकर रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर